


राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक : मुख्या/पीएस/सीएमडी/2020/369

दिनांक : 10.06.2020

कार्यालय आदेश

अन्तर्राज्यीय बस संचालन हेतु प्राप्त दिशा-निर्देश के क्रम में हरियाणा राज्य के लिए संचालित बसों को दिनांक 12.06.2020 से अपने पूर्ववत कार्यक्रम के अनुसार संचालित किये जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की जाती है। जोनल मैनेजर, जयपुर/सीकर/भरतपुर/बीकानेर, जिनके यहां से हरियाणा के लिए बसें रवाना होती हैं, वे जिला प्रशासन से सम्पर्क कर बस के प्रस्थान से एक घण्टा पहले से मेडिकल, थर्मल स्क्रीनिंग कर पास जारी करवाते हुए यात्रियों को बस में रवाना करेंगे। इन बसों में पूर्व में ही थर्मल गन की व्यवस्था दी गई है। इसलिए रिटर्न यात्रा में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को प्रवेश देंगे। राजस्थान में बस से उतारते समय जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा यदि किसी प्रकार की अन्य संशोधित दिशा-निर्देश एवं स्वास्थ्य जाँच करने की व्यवस्था दी जाती है तो पूर्ण सहयोग करेंगे।


(नवीन जैन)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
दिनांक 10.06.20

क्रमांक : मुख्या/याता0/संचालन/2020/369

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर,
5. समस्त पुलिस अधीक्षक,
6. समस्त विभागाध्यक्ष,राज0 परिवहन निगम, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर, राज. परिवहन निगम, जयपुर/सीकर/भरतपुर/बीकानेर
8. मुख्य प्रबंधक, राज0 परिवहन निगम,
9. उप महा प्रबंधक (आई.टी), राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
10. कार्यकारी प्रबंधक (पी.आर.), राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
11. प्रभारी कन्ट्रोल रूम, राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
12. आदेश पत्रावली।



(स.म.पी.मीना)

कार्यकारी निदेशक(याता0)